# झारखण्ड विधान सभा

---

## षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा

## षष्ठम् (मानसून) सत्र II

---

## कार्य सूची

25 नवंबर, 2026

11:00:00

---

### 1. राजकीय संकल्प

(1) मुख्यमंत्री (**मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग**) श्री हेमन्त सोरेन प्रस्ताव करेंगे कि चूकि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा चलाई जा रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के क्रम में मतदाताओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा आये दिन प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसी खबरें प्रकाशित होती रहती है। SIR के प्रक्रियागत दुरुहता, तकनीकी खामियों और मांगे जा रहे दस्तावेजों (Suggestive Documents) के कारण वैध मतदाताओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि नाम के Spelling Mismatch के कारण भी कई वैध मतदाताओं को संदेहास्पद सूची में डाल दिया गया है।

2. जनप्रतिनिधियों द्वारा भी SIR के दौरान आम-जनों को हो रही परेशानियों से राज्य सरकार को अवगत कराया जाता रहा है। इसी क्रम में जनप्रतिनिधियों / अन्य माध्यमों से सरकार के संज्ञान में यह बात आयी है कि झारखण्ड राज्य के कुल 2.64 करोड़ मतदाताओं में से प्रथम चरण के प्रारूप प्रकाशन में 2.21 करोड़ मतदाताओं का नाम प्रकाशित किया गया अर्थात लगभग 16 प्रतिशत मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से Delete कर दिया गया। Draft Electoral Roll में प्रकाशित कुल 2.21 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 27 प्रतिशत मतदाताओं को संदेहास्पद मानते हुए Notice निर्गत किया गया। Notice दिये गये मामलों में से 75 प्रतिशत से अधिक मामले मात्र तार्किक विसंगति (Logical Discrepancies) (यथा-माता पिता के नाम की वर्तनी का बेमेल होना, उम्र में अन्तर, उत्तराधिकारियों की संख्या आदि) के हैं। निष्कर्षतः झारखण्ड राज्य के कुल 2.64 करोड़ मतदाताओं में से 38 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं का नाम या तो मतदाता सूची से Delete कर दिया गया है या उन्हें संदेहास्पद मानते हुए Notice निर्गत किया गया है।

3. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-16 एवं धारा-19 में निर्धारित प्रावधानों के अधीन, किसी भी व्यक्ति को मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए यह आवश्यक है कि, वह -

(क) भारत का नागरिक हो।

(ख) पात्रता तिथि पर 18 वर्ष से कम आयु का न हो।

(ग) किसी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः निवासी होने पर, उस निर्वाचित क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

साथ ही चुनाव आयोग का यह वैधानिक दायित्व है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी योग्य मतदाता का नाम न छूटे। परन्तु, SIR की प्रक्रिया में मतदाता होने का प्रमाण देने की जिम्मेदारी (Onus of proof) संबंधित मतदाता का है। अर्थात कोई भी मतदाता, जिसका नाम पूर्व से मतदाता सूची में सम्मिलित है, उसे तब तक वैध मतदाता नहीं माना जाएगा, जब तक वह चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर अपने आप को वैध मतदाता होने को प्रमाणित न कर दे।

4. SIR के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश श्री उज्जल भुईयाँ ने टिप्पणी की है कि-
"यदि किसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप लाखों भारतीय नागरिकों को मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है और उन्हें अपने ही देश में द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना दिया जाता है, यानि उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता, तो ऐसी प्रक्रिया सरासर मनमानी है। किसी भी तरह की दलील इसे उचित नहीं ठहरा सकती। यह संविधान के मूल सिद्धांतों पर प्रहार है और मैं यहाँ तक कहूँगा कि यह भारत के संविधान के तहत् अपनाई गई संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है।"

5. झारखण्ड जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्य में परिस्थितियाँ और भी विषम है। झारखण्ड की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ अन्य राज्यों से भिन्न है। आदिवासी समुदाय में शिक्षा एवं जागरूकता का काफी आभाव है। PVTG समुदाय के लोगों की स्थिति और भी दयनीय है। काफी प्रयासों के बाद इन समुदाय के लोगो का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जा सका था। शिक्षा एवं जागरूकता का स्तर निम्न होने के कारण कई बार आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा सरकारी दस्तावेजों में जन्म तिथि यादृच्छिक रूप में (Randomly) अंकित कराया जाता रहा है। फलस्वरूप कई मामलों में माता-पिता एवं इनके संतानों के बीच आयु का अंतर कम होने के आधार पर SIR के दौरान ऐसे मामलों को Logical discrepancies के अंतर्गत रखकर ऐसे वैध मतदाताओं को भी अपने अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

6. यहाँ की ज्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। खेती के समय ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग कृषि श्रमिक के रूप में अन्य राज्य में प्रवास कर जाते हैं। इसके अलावा झारखण्ड में श्रमिकों की बड़ी आबादी (जिसमें महिलायें भी सम्मिलित हैं) आजीविका की तलाश में अन्य राज्यों एवं महानगरों में प्रवासी श्रमिकों के रूप में काम करते हैं, यहाँ तक कि देश के बाहर भी बड़ी संख्या में मजदूर प्रवासित हैं। ऐसे में SIR हेतु इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में व्यवहारिक कठिनाईयाँ हैं।

7. झारखण्ड की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक परिस्थितियों में SIR के दौरान यहाँ के मतदाताओं को निम्नांकित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है:-

**दस्तावेजों से संबंधित समस्याएँ।**

i) कई वास्तविक मतदाताओं, विशेषकर बुजुर्गों के पास जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या मांगे गए 11 दस्तावेजों में से कोई भी उपलब्ध नहीं रहने के कारण उन्हें संदेहास्पद सूची में डाल दिया गया।

ii) आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को नागरिकता अथवा जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किए जाने से लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। यहाँ तक कि खतियान को भी 11 Suggestive document में सम्मिलित नहीं किया गया है।

iii) आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और पुरानी मतदाता सूची में नाम की वर्तनी अलग-अलग होने के कारण कई आवेदन लंबित रह गए।

**प्रवासी मजदूरों की समस्याएँ**

i) झारखण्ड के लाखों मजदूर दिल्ली, मुंबई, सूरत जैसे महानगरों में काम करते हैं। उनके लिए गणना प्रपत्र भरने हेतु झारखण्ड वापस आना कठिन था।

ii) यदि घर पर परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था, तो उनका नाम मतदाता सूची से हटने का खतरा

उत्पन्न हो गया।
iii) दूसरे राज्यों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को भी इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा।

**बुजुर्गों और महिलाओं की समस्याएँ**

i) वर्ष 1987 से पहले जन्मे बुजुर्ग मतदाताओं से उनके माता-पिता के दस्तावेज मांगे गए, जबकि अधिकांश के पास ऐसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।
ii) विवाह के बाद दूसरे गाँव में रहने वाली महिलाओं का नाम कई बार मायके की मतदाता सूची में था, लेकिन ससुराल की सूची में नहीं था। उनके दस्तावेजों में कहीं पिता का नाम तो कहीं पति का नाम दर्ज था।
iii) विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को अद्यतन दस्तावेजों के अभाव में अधिक जाँच-पड़ताल का सामना करना पड़ा।

**समय और प्रक्रिया से संबंधित समस्याएँ**

i) प्रक्रिया के लिए बहुत कम समय दिया गया। बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को दो से तीन सप्ताह में 1000 से अधिक मतदाताओं तक पहुँचना था।

ii) कई मतदाताओं की शिकायत थी कि BLO केवल एक बार उनके घर आए, जबकि उस समय वे काम या खेतों में व्यस्त थे।
iii) प्रपत्र हिंदी और अंग्रेजी में होने के कारण कई ग्रामीण मतदाताओं को उन्हें भरने में सहायता की आवश्यकता पड़ी।
iv) स्मार्टफोन की अनुपलब्धता और OTP से जुड़ी समस्याओं के कारण ऑनलाइन सुधार पोर्टल का उपयोग करना कठिन रहा। कई मामलों में OTP पुराने मोबाइल नंबर पर जा रहा था।

**अन्यान्य**

i) प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद कई लोगों ने पाया कि उनका नाम गायब था या किसी दूसरे मतदान केंद्र पर स्थानांतरित हो गया था। ऐसे मतदाताओं को अपना नाम वापस जुड़वाने के लिए दावा या आपत्ति दर्ज करानी पड़ी।

8. पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में पिछले विधान सभा चुनाव के ठीक पहले हुए SIR में 90 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से delete कर दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे मतदाताओं के अपील के निबटारे हेतु ट्रिब्यूनल गठित किये गये हैं। इन ट्रिब्यूनलों को लगभग 38 लाख से अधिक अपील आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से ज्यादातर लोग आज भी ट्रिब्यूनल के निर्णय की बाट जोह रहे हैं। अगर ये ट्रिब्यूनल के निर्णय से वैध मतदाता पाये जाते हैं तो विगत विधान सभा चुनाव में इन्हें मत देने के वैधानिक अधिकार से वंचित करना, कहाँ तक न्यायोचित है।

9. पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान जो तथ्य और आँकडे प्रकाश में आये हैं, वह इस बात की ओर संकेत करते हैं कि झारखण्ड जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्य में ये परिस्थितियाँ और अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है।

10. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रस्ताव है कि :-
i) विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराये जाने पर राज्य सरकार की सैद्धांतिक सहमति है। तथापि, सार्वभौमिक मताधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकार है तथा किसी नियम / विनियम या प्रक्रिया के द्वारा किसी भी योग्य मतदाता को इस संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः आम जनता के बीच निर्वाचन की प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास कायम रखने हेतु वर्तमान में चल रहे SIR की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए इसके स्वरूप में यथोचित परिवर्तन किया जाय।
ii) SIR के वर्तमान स्वरूप में अपनायी जा रही प्रक्रियागत दुरुहता के कारण वैध मतदाताओं को कई

प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्णित स्थिति में सभी राज्यों एवं सभी छोटे-बड़े राजनीतिक दलों के साथ समावेशी चर्चा के उपरांत SIR के लिए पारदर्शी नियम तथा सरल एवं सर्वमान्य प्रक्रिया से परिपूर्ण SOP तैयार किये जाने के पश्चात् ही नये सिरे से SIR कराया जाय, ताकि सभी योग्य मतदाताओं का संवैधानिक अधिकार अक्षुण्ण रहे।

**11.** संदर्भित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

**12.** उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा चलायी जा रही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)के दौरान मतदाताओं को हो रही परेशानियों के आलोक में उपर्युक्त कंडिका-10 से अवगत कराने हेतु प्रस्ताव पर विधान सभा की विशेष बैठक में चर्चा के उपरांत इसे सभी सक्षम प्राधिकार को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**रंजीत कुमार**
**प्रभारी सचिव**
**झारखण्ड विधान सभा**

**राँची** - 834004
**दिनांक:25 नवम्बर 2026**